

Y-11011/21/SSS.ref/2023-24/एनएसएसटीए  
भारत सरकार  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए)

भूखण्ड सं. 22, नॉलेज पार्क-11  
गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा  
उत्तर प्रदेश-201310  
दिनांकित : 28.06.2024

कार्यालय ज्ञापन


**विषय :** अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में 22 से 26 जुलाई, 2024 के दौरान आयोजित होने वाले **“GFR with Special Emphasis on Procurement of Goods and Service”** पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण में इन-सर्विस कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के नामांकन के लिए अनुरोध - सन्दर्भ।

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी द्वारा एक सप्ताह की अवधि के इन-सर्विस कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के लिए “GFR with Special Emphasis on Procurement of Goods and Service” आवासीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में 22 से 26 जुलाई, 2024 आयोजित किया जा रहा है।

2. अतः इस सन्दर्भ में इच्छुक अधिकारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि **8 जुलाई, 2024** तक **नियंत्रण/सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त** उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ई-मेल: [Neelam.89@gov.in](mailto:Neelam.89@gov.in) तथा कॉपी में [ankur.kumar91@gov.in](mailto:ankur.kumar91@gov.in) पर अपनी सहमति नाम, कर्मचारी कोड/OID, पदनाम, स्थान का पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का विवरण सहित सम्प्रेषित करें।

3. एनएसएसटीए नामांकित अधिकारी के रहने और खाने का खर्च वहन करेगा, लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टीए/डीए मौजूदा नियमों के अनुसार संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना अधिकतम 25 प्रतिभागियों के बैच के लिए बनाई गई है। यदि बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त होते हैं तो चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, कृपया नामांकित प्रतिभागियों द्वारा यात्रा की व्यवस्था एनएसएसटीए द्वारा अंतिम पुष्टि के बाद ही की जाए।

  
28/06  
(अंकुर कुमार)

उपनिदेशक, एनएसएसटीए  
दूरभाष : 0120-2324963

सेवा में,

सभी कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी।

प्रतिलिप सूचनार्थ :

1. सां. एवं का. का. मं. के समस्त अतिरिक्त महानिदेशकों को इस अनुरोध के साथ कि इच्छुक कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों का नामांकन करें; तथा
2. समस्त प्रतिभागी मंत्रालयों/संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि इच्छुक कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों का नामांकन करें।